>

Title: Need to cancel the licenses of chemical units causing environmental pollution and health hazard in Nagda Tehsil, Ujjain Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh.

श्री प्रेमचन्द गुड्डू (उज्जैन): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केमिकल एवं फर्टिलाइजर और पर्यावरण मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र उज्जैन, नागदा, आलोट में बड़े खतरनाक कारखाने को नयी परमीशन दी गयी है। ग्वालियर केमिकल इंडस्ट्रीट (लेक्सेस) व आर्केमा तथा ग्रेसिम केमिकल इंडस्ट्रीज। नागदा स्थित अरोणी कैमिकल, आर्केमा व लेक्सेस इंडस्ट्रीज तीनों एक ही उद्योग के नाम है, जो कि एल्यूमिनियम क्लोराइड निर्माण में बड़ी मात्रा में क्लोरीन गैस एवं एल्यूमिनियम के वेपर्स निकालते हैं। इससे खतरा इतना अधिक होता है कि इसकी गंधयुक्त गैस से आंख खराब होकर व्यक्ति अंधा हो जाता है तथा श्वास नली के द्वारा गैस को ग्रहण करने से मृत्यु भी संभव हो जाती है। इससे हाल ही में एक व्यक्ति की मृत्यु हुयी है और उसको एक्सीडेंट बताकर वहां मामला नहीं बनाया गया है। इससे निकलने वाले प्रदूषित पानी से किसानों की उपजाऊ जमीन बंजर बनती जा रही है। पूरा क्षेत्र पेयजल की योजना बनाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। सदन में खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मध्यप्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चंबल का जल किसी भी उपयोग के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है, जबकि यह उपरोक्त प्रदूषण के कारण है।

माननीय उच्चतम न्यायलय के निर्देशों के नियमों का भी खुला उल्लंघन हो रहा है और मध्यप्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1986 के चैप्टर 68 में उल्लिखित मापदंडों का पालन नहीं हो रहा है। जबकि कैटेगरी 29.1 की खतरनाक श्रेणी में यह विषय आता है। इसके साथ इंदौर, उज्जैन दो डिवीजन हैं। इनमें भी प्रदूषण के कारण नये उद्योग लगाना प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे करीब 11 जिले प्रभावित हो रहे हैं।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि नागदा में भी मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा यूनीयन कारबाईड भोपाल गैस कांड जैसा हादसा हो सकता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन फैक्ट्रियों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं, जिससे वहां का जनजीवन ठीक हो और आसपास नए उद्योग-धंधे स्थापित हों।